संख्या:43/2020/1322/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2020**

विषयः वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये है। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-703/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.06.2020 द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ायी गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 द्वारा उक्त योजना में कतिपय संशोधन किये गये है।

2- कोविड-19 महामारी तथा अभिकरणों द्वारा उक्त योजना की समयावधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in